अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा एमबीएस अस्पताल, कांग्रेसजनों ने ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया

कोटा, (निसं)। संभाग के सबसे बड़ा अस्पताल एमबीएस, अस्पताल प्रशासन की अनदेखी या लापरवाही के कारण अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डरो मत झुको मत मुहिम के तहत एमबीएस अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया और व्यवस्था सुधारने की मांग की।

ज्ञापन देते हुए शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा किकोटा का एमबीएस अस्पताल पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर पूरे संभाग से मरीज और उनके परिजन आते हैं जिनको देखते हुए गत कांग्रेस सरकार ने एमबीएस अस्पताल के विकास में करोड़ों रुपऐं खर्च के कार्य करवाए जिससे मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हो सके परंतु कांग्रेस सरकार जाने के बाद आज अस्पताल की स्थिति दयनीय होती जा रही है और इसका खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है हमने एमबीएस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि अस्पताल में मरीजों के पंजीकरण के लिए काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए क्योंकि अभी मौसमी बीमारी के कारण मरीजों की संख्या अधिक होने से मरीजों और उनके परिजनों को लाईनों में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है जिससे मरीज को अधिक परेशानी हो सकती है इसके साथ ही ब्लड बैंक में एसडीपी की तीन मशीन है तीनों को काम में लिया जाए और उनको मेंटेन रखा जाए अभी हो यह रहा है कि दो मशीन है तो बंद पड़ी हैं और एक को काम में ले रहे हैं वह भी कभी भी खराब हो जाती है जिसके कारण मरीज को दो से तीन घंटे परेशान होना पड़ता है साथ ही जांच करने वाली मशीनों कर रखरखाव हो और मेंटेनेंस से रूप से किया जाए जिससे मरीजों को उनकी जांच की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सके।

बरथुनिया ने कहा कि अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है की आपको जगह-जगह पान के पीक के निशान कचरा गंदगी परी मिल जाएगी अस्पताल परिसर में एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है उधर गंदगी का अंबार लग जाता है अस्पताल प्रशासन की आंखों के सामने वह कचरा आता ही नहीं है जिससे अधिक बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है अस्पताल प्रशासन सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करें और जो सुरक्षा गार्ड रख रखे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए अस्पताल परिसर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं पर अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है साथ ही अस्पताल प्रशासन अस्पताल परिसर से आवारा जानवरों को हटवाने का काम करें। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में कांग्रेसराज में बने नए परिसर में लिफ्ट की सुविधा दी गई थी अस्पताल प्रशासन की अनदेखी के कारण लिफ्ट खराब पड़ी है जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है इसे जल्द ही ठीक कराया जाए।

बरथुनिया ने कहा कि हमारी उपरोक्त मांगों पर अगर 10 दिन में कार्य नहीं किया गया तो कांग्रेसजन अस्पताल में उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक करेंगे जब तक की अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही छोड़कर मरीज और उनके परिजनों के लिए पूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर देता हैं। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सेवादल प्रदेश सचिव अमित सूद अजय नगर शाहिद मुल्तानी, प्रदीप सुमन चेतन मेवाड़ा असलम बेग दिनेश मीणा हैदर खान, मनीष सुमन, सितारा बनो महेश अनिजवाल अफ्सरा अंसारी आशीष जैन पटौदी, महेश रेगर नफीस कुरेशी इकबाल खान, मुकेश प्रजापति बुधराज सिंह हाड़ा बजरंग लाल बंसीवाल श्याम लाल पालीवाल अनवर हुसैन, पिंटू वर्मा आदि कांग्रेस जन और आम जन उपस्थित थे।

कोटा अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसजनों ने अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

शिविर में निःशुल्क जांच कराई

कोटा, (निसं)। रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ द्वारा वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक चिकित्सालय तलवंडी कोटा के सहयोग से निशुल्क मधुमेह जांच शिविर आयोजित किया गया।

'जरुरतमंद के लिए कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो'

कोटा, (निसं)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत प्रत्येक जरूरतमंद श्रमिकों के लिए पर्याप्त कार्य स्वीकृत होना आवश्यक है। कार्य मांगने की स्थिति में गरीब श्रमिक को कार्य उपलब्ध करवाना योजना अंतर्गत नैतिक जिम्मेदारी है इसे समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत बुधवार को जिला परिषद के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी अशोक कुमार त्यागी ने कही। उन्होंने कहा कि रोजगार से गरीब श्रमिकों को संम्बल मिलता है।

ऐसे में काम मांगने पर रोजगार की उपयोगिता होनी चाहिए। कार्यशाला के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में मजदूरी का औसत बेहतर हो इसके लिए मजदूरों को टास्क पूरी करने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे कि उन्हेंर काम का निर्धारित पूरा दाम मिल सके। कार्यालय के दौरान उन्होंने वार्षिक कार्य योजना, लेवर बजट, कन्वर्जेंस एवं व्यक्तिगत लाभ के कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने को कहा गया। जिला समन्वयक आई ई सी रविन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यशाला को मुख्य रूप से अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरडी मजहर इमाम, अधिशाषी अभियंता मनरेगा राजकुमार सोनी ने सम्बंधित किया।

रंगबाड़ी में वीर तेजाजी मेले का भव्य शुभारंभ

कोटा, (निसं)। वीर तेजाजी सेवा समिति द्वारा आयोजित वीर तेजाजी मरामलाल लिक शुभारंभ हुआ। मेला संयोजक शिवराज गुंजल ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी तीन दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा जो कि 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक होगा। गुंजल ने बताया कि तीन दिवसीय मेले में तेजाजी महाराज की कथाएं उनके जीवन की रचनाएं एवं उनके जीवन पर खेल की प्रस्तुतियां हाड़ौती के कलाकारों द्वारा दी जाएगी। मेला अध्यक्ष श्याम यादव ने बताया कि मेले का शुभारंभ वीर तेजाजी सेवा समिति के संरक्षक रामलाल गुंजल पूर्व सरपंच ने फीता काटकर किया। रामलाल गुंजल ने क्षेत्र वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भगवान वीर तेजाजी महाराज के वचनों का अनुसरण करके उनके बताएं गए रास्ते पर चलना चाहिए जिससे कि समाज का कल्याण हो। इस पर मेला उपाध्यक्ष जोधराज गुर्जर, पूर्व अध्यक्ष रामअवतार मीणा, कोषाध्यक्ष कैलाश जांगिड़, सहित समिति के सभी सदस्यगण मौजूद रहे।

अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी

कोटा, (निसं)। भारतीय वायु सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया पर बुधवार को नंबर 5 एएससी वायु सेना जोधपुर से आए सार्जेंट पी सी यादव ने 7 राज एअर एनसीसी कोटा कैम्प में एनसीसी कैडेट्स को विस्तार से जानकारी दी। वेरिफिकेशन अधिकारी आर.एस. पंवार ने बताया कि साढ़े 17 से 21 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरूष एवं महिला उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय मे किसी भी विषय के साथ 50 फीसदी अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं।

एलबीएस के पांच विद्यार्थियों ने कांस्य पदक जीता

कोटा, (निसं)। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोटा जिला स्तरीय खेलकूल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत 68वीं जिला स्तरीय टेबल-टेनिस प्रतियोगिता का फाईनल दिनांक 11 सितम्बर 2024 बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आर.के. पुरम (नवीन) कोटा में आयोजित किया गया जिसमें लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल, रानपुर, कोटा के आशीष कुमार सिंह, जतिन माली, ऋषव राज, वरूण मीणा एवं ईशांक आर्य ने प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए विजयी रहकर कांस्य पदक प्राप्त किये। विद्यालय पहुंचने पर विद्यालय अकेडमिक डारेक्टर एस.के. माहेश्वरी तथा अन्य अध्यापकों द्वारा छात्रों का स्वागत किया गया। एल.बी.एस. ग्रुप के चेयरमैन कुलदीप माथुर ने छात्रों को विजयी होने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी।

शहर के दौरे पर निकले कलेक्टर, खराब सड़कों की मरम्मत के निर्देश

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ.रविंद्र गोस्वामी बुधवार शाम को शहर के दौरे पर निकले। अपने दौरे में जिला कलक्टर ने शहर की सड़कों, चौराहों, पार्कों एवं डिवाइडर का मुआयना किया। डॉ.गोस्वामी ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बारिश खत्म होने के साथ ही शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने को कहा ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो एवं आवारा पशुओं के विचरण के कारण कोई दुर्घटना नहीं हो। जिला कलक्टर ने डिवाईडर के बीच पौधे लगाने एवं चौराहों व पार्कों का सौंदर्यकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फुटपाथ के किनारे भी पौधारोपण करने के निर्देश कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए।

जिला कलेक्टर ने पॉलीटेक्निक चौराहे का निरीक्षण किया एवं उसका सौंदर्यकरण करने के निर्देश दिए, पॉलीटेक्निक रोड़ के न्यू मोटर मार्केट के सामने वाले क्षतिग्रस्त हिस्से को देखकर उसकी जल्दी मरम्मत करने तथा एयरपोर्ट के सामने फुटपाथ एवं डिवाईडर पर पौधे लगाकर सौंदर्यकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिएं। दौरे में कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव कुशल कोठारी, अतरिक्त मुख्य अभियंता रविंद्र माथुर, अधीक्षण अभियंता नवीन सिंघल एवं अन्य अधिकारी साथ रहे।

कोटा जिला कलेक्टर ने शहर का दौरा करके आवश्यक निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री कोटा प्रवास पर, कार्यक्रमों में भाग लेंगे

कोटा, (निसं)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अतिरिक्त कलक्टर शहर ने बताया कि शिक्षा मंत्री 12 सितम्बर को प्रातः 8:30 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विनोबा भावे नगर में नवीन कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रातः 10:30 बजे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सुल्तानपुर में निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1:30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयागांव में निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। अपरान्ह 3:30 बजे राजस्थान स्कूल पुस्तकालय संवर्धन परियोजना अंतर्गत नव-निर्मित मॉडल बाल पुस्तकालय का लोकार्पण करेंगे।

'बीएसआई केयर एप से जांचें उत्पाद की प्रामाणिकता'

कोटा, (निसं)। उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में उपभोक्ताओं के सर्वकालिक संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्यव्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान के अंतर्गत संभाग स्तर पर दक्षता निर्माण कार्यशाला का आयोजन बुधवार को को डीओआईटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

प्रमुख शासन सचिव उपभोक्ता मामले सुबिर कुमार एवं भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जानकारियां प्रदान की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने आव्हान किया कि कार्यशाला में दी गई जानकारियों को अपनाए और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार आमजन के हित में किया जाए। कार्यशाला में उत्पाद प्रमाणन, बीआईएस प्रमाणन, बीआईएस केयर एप, बीआईएस पोर्टल इत्यादि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि बीआईएस पोर्टल पर उत्पाद की प्रमाणिकता जांची जा सकती है। साथ ही, उपभोक्ता संरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन पर पोर्टल या वेबसाइट पर शिकायत भी की जा सकती है जिनका 90 दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. जगदीश सोनी, जिला रसद अधिकारी द्वितीय राहुल मीणा, उपायुक्त नगर निगम दयावती, प्रवर्तन निरीक्षक संध्या शर्मा एवं अदिति जागरवाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कोटा में उपभोक्ता संरक्षण विषयक दक्षता निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई।

अजगर ने रेस्क्यू करने वाले को काटा

कोटा, (निसं)। कोटा में सांपों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी है। ताजा मामला शहर के दादाबाड़ी इलाके से सामने आया है। यहां एक मूर्तिकार के झोपड़ीनुमा घर से 11 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथन यानी अजगर निकला। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने काफी मशक्कत कर किसी तरह से अजगर का रेस्क्यू किया लेकिन इस बीच अजगर ने उनके हाथ पर काट लिया जिसमें वो जख्मी हो गए। रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद रहे अन्य लोगों ने अजगर को पकड़ लिया अन्यथा वो स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को जकड़ लेता। बाद में गोविंद शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को रेस्क्यू कर लिया और फिर उसे लाड़पुरा रेंज के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया। साथ ही इसकी जानकारी वन विभाग को भी दी। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि अजगर 11 फीट लंबा और 70 किलो वजनी था। जिस जगह से इस अजगर को पकड़ा गया वहां घीसाराम का परिवार रहता है और इस परिवार के सभी लोग जमीन पर ही सोते हैं। उन्होंने बताया कि ये परिवार मूर्ति बनाने का काम करता है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा की बसंत बिहार केशवपुरा-9 योजना के भूखंड/आवास संख्या 524 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 09.06.1998 को श्री खेमचंद चित्तौडा पुत्र श्री माधोलाल चित्तौडा को किया गया था। श्री खेमचंद चित्तौडा पुत्र श्री माधोलाल चित्तौडा द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री हंसराज जैन द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16.12.2002 को श्री रविन्द्र कुमार ढल पुत्र स्व. श्री चंद्रभान ढल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 524 योजना बसंत बिहार केशवपुरा-9 का नाम हस्तान्तरण श्री रविन्द्र कुमार ढल पुत्र स्व. श्री चंद्रभान ढल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांकः एफ 7/डी.टी.पी./2024/1744-48 विज्ञप्ति दि. 11.09.2024

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु न्यास मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे न्यास कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड/खसरा सं. व योजना/ ग्राम का नाम	पट्टा एवं मास्टर प्लान/ जोनल प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)
1.	श्री उदयभान सिंह हाड़ा	भूखण्ड संख्या 10, विजय नगर ग्राम बोरखेड़ा	पट्टा अनुसार आवासीय एवं जोनल प्लान अनुसार मिश्रित	मिश्रित	260.22

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2322 विज्ञप्ति दिनांकः-11.9.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालाकुण्ड में स्थित कृषि भूमि योजना न्यू जवाहर नगर भूखंड संख्या डी-16 खसरा नं. 41/268, 48, 52, 53, 54 आवेदक/ आवेदिका श्री संदीप दंडवते पुत्र श्री बी.के. दंडवते निवासी 236 नम्रता आवास बजरंग नगर कोटा, सुनील दंडवते पुत्र श्री बी.के. दंडवते निवासी डी-16 जवाहर नगर कोटा, श्रीमती सीमा निधोजकर पुत्री श्री बी.के. दंडवते निवासी 38 रचना नगर भोपाल म.प्र. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 24 दिनांक 03.03.2001 को श्री बी.के. दंडवते पुत्र श्री कृष्ण राव दण्डवते के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 06.02.2023 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पुत्र संदीप दंडवते, सुनील दंडवते, पुत्री सीमा निधोजकर है।

अतः श्री संदीप दंडवते पुत्र श्री बी.के. दंडवते, सुनील दंडवते पुत्र श्री बी.के. दंडवते, श्रीमती सीमा निधोजकर पुत्री श्री बी.के. दंडवत के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/2321 विज्ञप्ति दिनांकः-11.9.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम खेडली पुरोहित योजना "इन्द्रा कोलोनी" खसरा नं. 110 में स्थित भूखंड संख्या डी-2 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री सुभाष द्विवेदी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र शंकर द्विवेदी निवासी डी-4 माला रोड इन्द्रा कोलोनी कोटा जं. कोटा राज द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 12265 दिनांक 25.06.2012 को श्री राजेन्द्र शंकर द्विवेदी पुत्र श्री चन्दी सहाय द्विवेदी के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 02.05.2013 को हो चुकी है। पट्टेधारी की मृत्यु उपरांत विधिक वारिसान द्वारा आवेदक के पक्ष में रजि. रिलीज डीड दिनांक 07.08.2024 से हक त्याग कर दिया है। आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत रिलीज डीड एवं शपथ पत्रों के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः श्री सुभाष द्विवेदी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र शंकर द्विवेदी के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-361 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांकः-11.9.24

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड/आवास संख्या 83 योजना श्रीनाथपुरम-ई में आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 26.02.2024 को श्री अजय आहुजा पुत्र श्री सोहन लाल आहुजा एवं श्री अशीष आहुजा पुत्र श्री अजय आहुजा के संयुक्त नाम से हस्तान्तरण किया गया था। आवंटी श्री अजय आहुजा की मृत्यु दिनांक 04.07.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्री शुभम आहुजा के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान शपथ पत्र, शपथ पत्र, आई.डी. पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास में निहित अपने हिस्से का नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 83 योजना श्रीनाथपुरम-ई का नाम हस्तान्तरण श्री अशीष आहुजा एवं श्री शुभम आहुजा पुत्र स्व. श्री अजय आहुजा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-1134 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांकः-11.9.24

नगर विकास न्यास कोटा की विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल योजना के भूखंड/आवास संख्या 19 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 05.12.2000 को मै. गणेश ऑटोमोबाइल्स प्रो. श्री गोकुल चंद निझावन पुत्र श्री नन्दलाल को किया गया था। मै. गणेश ऑटोमोबाइल्स प्रो. श्री गोकुल चंद निझावन पुत्र श्री नन्दलाल द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री मोहनलाल सक्सेना पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद सक्सेना द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2024 को श्री प्रतीक सक्सेना पुत्र श्री दिनेश सक्सेना को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 19 योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल का नाम हस्तान्तरण श्री प्रतीक सक्सेना पुत्र श्री दिनेश सक्सेना के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ 11/विक्रय/2024/899 नामान्तरण हेतु विज्ञप्ति दिनांकः-10.09.24

न्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 11/सुभाष नगर/93-94/248 दिनांक 02.03.1994 के द्वारा आवास संख्या 185 सुभाष नगर का आवंटन श्री सोहन लाल पुत्र श्री मूलचन्द मिस्त्री को किया गया है। श्री सोहन लाल पुत्र श्री मूलचन्द मिस्त्री द्वारा आलेखित मुख्तारआम श्री मोहन लाल नागर पुत्र श्री रामप्रसाद नागर द्वारा उक्त आवास का विक्रय जर्ये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2024 को श्रीमती शिंटु शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा को कर दिया गया है। श्रीमती शिंटु शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा द्वारा उक्त आवास का नामांतरण स्वयं के नाम किए जाने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 185 सुभाष नगर का नामांतरण श्रीमती शिंटु शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा के नाम किए जाने में कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 दिवस में प्राधिकरण में आपत्ति दर्ज करावे। बाद मियाद गुजरने के पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त आवास का नामांतरण श्रीमती शिंटु शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांकः-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/9996 दिनांकः 11.9.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री हरी प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री राम प्रसाद मिश्रा एवं श्री अखिल मिश्रा पुत्र श्री भानू प्रकाश मिश्रा निवासी-221 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-221 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय मंडी कमेटी चम्बल सिंचाई परियोजना कोटा के क्रमांक : 362 दिनांक 31.10.1961 से श्री सोहन सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह को विक्रय किया गया। श्री सोहन सिंह पुत्र श्री जीवन सिंह ने श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद बाजारी को दिनांक 01.10.1963 से विक्रय किया गया है। श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री द्वारका प्रसाद बाजारी ने श्री राम प्रसाद मिश्रा पुत्र श्री मानसिंह मिश्रा को दिनांक 30.11.1965 से विक्रय किया गया है। श्री भानु प्रकाश मिश्रा की मृत्यु दिनांक 28.05.2022 एवं श्री राम प्रकाश मिश्रा की मृत्यु दिनांक 04.09.1974 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान श्रीमती पूजा ओहरी पुत्री स्व. श्री भानू प्रकाश ने दिनांक 26.10.2023 अपना हक श्री अखिल मिश्रा के पक्ष में त्याग दिया है। श्रीमती मंजूला शर्मा पत्नी स्व. श्री भानू प्रकाश मिश्रा एवं श्रीमती पूजा ओहरी पुत्री स्व. श्री भानू प्रकाश मिश्रा ने दिनांक 26.05.2023 अपना हक श्री अखिल मिश्रा के पक्ष में त्याग दिया है। न्यायालय ADJ-2 कोटा के द्वारा जारी डिक्री दिनांक 05.07.2023 एवं हक त्याग के द्वारा भूखंड संख्या 221 शोपिंग सेन्टर का स्वामित्व श्री हरी प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री राम प्रसाद मिश्रा एवं श्री अखिल मिश्रा पुत्र श्री भानू प्रकाश मिश्रा के पक्ष में होना प्रमाणित है। श्री हरी प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री राम प्रसाद मिश्रा एवं श्री अखिल मिश्रा पुत्र श्री भानू प्रकाश मिश्रा नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2024-25/100765 लोक सूचना दि.10.09.2024

श्री GAURAV SOOD पुत्र श्री RANJEET SINGH SOOD जाति PUNJABI निवासी SILVER BELLS SCHOOL. NEW POST OFFICE KE SAMNE BHIMGANJMANDI KOTA JN. KOTA श्री SILVER BELLS INTERNATIONAL SANSTHAN JARIYE DIR. GAURAV SOOD पुत्र श्री RANJEET SINGH SOOD जाति PUNJABI निवासी SILVER BELLS SCHOOL. NEW POST OFFICE KE SAMNE BHIMGANJMANDI KOTA JN. KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **अन्य संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	किशनपुरा तकिया, लाडपुरा (कोटा)	1.GAURAV SOOD S/O RANJEET SINGH SOOD HISSA 39/71 COLONY SILVER BELLS SCHOOL. NEW POST OFFICE KE SAMNE BHIMGANJMANDI KOTA JN.KOTA 2.GAURAV SOOD S/O RANJEET SINGH SOOD HISSA 32/71 COLONY SILVER BELLS SCHOOL.NEW POST OFFICE KE SAMNE BHIMGANJMANDI KOTA JN. KO	1015/627	7100	0.71
2.	किशनपुरा तकिया, लाडपुरा (कोटा)	SILVER BELLS INTERNATION SANSTHAN, NEW POST OFFICE KE SAMNE BHIMGANJMANDI KOTA JN. KOTA	1016/627	3200	0.32
				कुल	1.03

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-